न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी परासिया,
जिला–छिंदवाड़ा (म.प्र.)
(समक्ष : राजेश नामदेव)

Registration No. MJCR 311/22
Filling No. 1955/22
CNR No. MP2805-003165-2022
Filing Date 17.10.22

जितेन्द्र पिता अंतराम कसार, उम्र 28 साल,
निवासी वार्ड नं. 1 परासिया,
तहसील परासिया, जिला–छिंदवाड़ा (म.प्र.)

..... **आवेदक**

::: **विरूद्ध** :::

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा,
आरक्षी केन्द्र परासिया,
जिला–छिंदवाड़ा (म.प्र.)

..... **अनावेदक**

.....

17-10-22 राज्य की ओर से ए.डी.पी.ओ. उपस्थित।

आवेदक जितेन्द्र द्वारा अधिवक्ता श्री दिलीप बाथरे उपस्थित।

संबंधित आरक्षी केन्द्र परासिया से केश डायरी की प्रतिलिपि प्रतिवेदन सहित प्राप्त।

आवेदक से संबंधित वाहन आरक्षी केन्द्र में जप्त होना दर्शित है।

प्रकरण का आज ही एम.जे.सी.आर. में फांइलिंग/पंजीयन कराया जावे।

आवेदन पत्र के माध्यम से प्रकट किया गया है कि आरक्षी केन्द्र परासिया द्वारा वाहन कं. एम.पी. 28 एम.यू. 4674 जप्त किया गया है। आवेदक उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी है। प्रकरण के निराकरण तक किसी अन्य को अंतरण नहीं करेगा। उक्त वाहन का रंग रूप परिवर्तित नहीं करेगा। आवेदक न्यायालय द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन करने को तैयार है। अतः वाहन मय मूल

दस्तावेज के सुपुर्दगी पर सौंपे जाने का निवेदन किया गया है।

राज्य की ओर से आवेदन का मौखिक विरोध किया गया है।

आवेदन पत्र पर उभयपक्ष को सुना गया।

केस डायरी का अवलोकन किया गया।

केस डायरी के अवलोकन से दर्शित होता है कि आरक्षी केन्द्र परासिया द्वारा अप. कं. 1004/22, अंतर्गत धारा 185, 130(3) सहपठित धारा 177, 3 सहपठित धारा 181 मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध में दिनांक 12.10.2022 को उक्त वाहन जप्त किया गया है तथा रजिस्ट्रेशन के अनुसार आवेदक सतीश यादव वाहन मोटर सायकिल कं. एम.पी. 28 एम.यू. 4674 का पंजीकृत स्वामी है।

न्यायदृष्टांत **सुंदर भाई अंबालाल देसाई विरूद्ध स्टेट ऑफ गुजरात ए0आई0आर0 2003 एस0सी0 638** में प्रतिपादित विधि को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक वाहन स्वामी होने से वाहन प्रकरण के निराकरण तक अंतरिम सुपुर्दगी पर रिहा किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आवेदन पत्र स्वीकार कर निर्देशित किया जाता है कि आवेदक की ओर से मोटरसायकिल के संबंध में 75,000/– रूपये का सुपुर्दनामा प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ पेश किया जाता है, तो आवेदक का वाहन अंतरिम सुपुर्दगी पर दिया जावे :–

1. आवेदक वाहन के रंग रूप में परिवर्तन नहीं करेगा।
2. वाहन का किसी भी प्रकार से व्ययन नहीं करेगा।
3. वाहन की आवश्यकता होने पर न्यायालय के समक्ष स्वयं के व्यय पर प्रस्तुत करेगा।
4. पुलिस/न्यायालय द्वारा सूचना दिये जाने पर न्यायालय में अगामी कार्यवाही हेतु उपस्थित रहेगा। अन्वेषण में सहयोग करेंगा।

केस डायरी वापस की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार भेजा जावे।

RAJESH NAMDEO

Digitally signed by RAJESH NAMDEO
Date: 2022.10.17 02:19:58 +0530

(राजेश नामदेव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
परासिया, जिला छिन्दवाड़ा